न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 395/2025 | दायर दिनाँक 24.11.2025

वादी

1. विनोद कुमार शर्मा पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बांसा तहसील मौलासर जिला डीडवाना —कुचामन

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. बनवारीलाल पुत्र मदनलाल
2. सुरेश कुमार पुत्र मदनलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी बांसा तहसील मौलासर जिला डीडवाना—कुचामन
3. तहसीलदार मौलासर

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.,

उपस्थितः—

1. श्री अजीत सिंह राठोड़ वकील वादी।
2. श्री रामस्वरूप लखारा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 09.04.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, वाके सरहद निम्बा का बास वर्तमान खसरा संख्या 274 रकबा 0.3600 है. भूमि के गत खसरा संख्या संवत् 2006 में 82 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा व संवत् 2022 में खसरा नम्बर 120 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा थे। उक्त भूमि छोटी पत्नी नारायणराम जाति ब्राहम्ण के नाम खातेदारी में है, मगर छोटी पत्नी नारायणराम का स्वर्गवास आज से करीब 60—70 वर्षों पूर्व हो चुका है। जो नाऔलाद फौत हुई थी। छोटी के पति नारायण व वादी के दादा नरसीलाल काका बाबा के भाई थे। इसलिए छोटी की सेवा चाकरी व स्वर्गवास पर धार्मिक रिति—रिवाज से कियाकम हरिद्वारा डालना व गंगा प्रसादी आदि सभी वादी के दादा नरसीलाल द्वारा ही किया गया था तथा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त संवत् 2016 से पूर्व से ही वादी के दादा नरसीलाल जी का ही रहा इसलिए गिरदावरी संवत् 2016 से 2022 व 2032 से 2034 में काश्त के रूप में दादा नरसीलाल के नाम दर्ज रही है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी के दादा नरसीलाल ने आज से करीब 40—50 वर्ष पहले ही अपने पुत्रों में बंटवाडा कर दिया तथा खसरा संख्या पुराना बी—2, 120 व वर्तमान खसरा नम्बर 274 रकबा 0.3600 है. भूमि वादी के पिता मदनलाल के बंट व हिस्सों में रही तथा वादी के पिता मदनलाल ने अपने पिता द्वारा बंट में दी गई भूमि वाके शरहद निम्बा का बास खेत खसरा संख्या 275 में उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 274 को एक चक में मिला कर चारों ओर सीमा बाड कर ली तथा अरसे—दराज से वादग्रस्त भूमि पहले वादी के पिता मदनलाल व अब वादी व उसके भाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बनवारीलाल व सुरेश कुमार के कब्जे काश्त में है। जिस भूमि में वादी पक्ष ने वर्तमान समय में वर्षा के समय बाजरी की काश्त की व वादी पक्ष ने ही अवेरी है। इसलिए वादी घोषणा खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी पक्ष की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वाके सरहद निम्बा का बास खेत खसरा संख्या 240 [illegible] 3 कुआ, 275, 275/314 व वादित खसरा नम्बर 274 की भूमि [illegible] है [illegible] खसरा में कुआ मय विद्युत कनेक्शन व रहवास का कमरा व कोटडी हो [illegible] वादी पक्ष बना रखे है। इसलिए वादी पक्ष का वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 274 में प्रतिकुल कब्जा भी है इसलिए भी वादी पक्ष घोषणा खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:49:13 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

शरहद निम्बा का बास खेत खसरा संख्या 274 रकबा 0.3600 है. भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जावे। वादी के पक्ष में इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि वे किसी प्रकार की वादग्रस्त भूमि में दखल न करें, न किसी से करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता रामस्वरूप लखारा ने इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित। एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा जरिये पत्रांक– राजस्व/2026/177 दिनांक 02.04.2026 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ग्राम निम्बा का बास के खसरा संख्या 274 रकबा 0.3600 है. वर्तमान में छोटीदेवी पत्नी नारायणराम जाति ब्राहम्ण के नाम खातेदारी दर्ज है। लेकिन पूछताछ करने पर बताया कि उक्त खसरा नम्बर 274 में वर्तमान में मदनलाल का परिवार काश्त कर रहा है। खसरा नम्बर 274 के खातेदार छोटी देवी पत्नी नारायणराम ब्राहम्ण वर्षो पूर्व फौत हो चूकी है तथा छोटी देवी के कोई जायन्दा वारिस नहीं है। छोटी देवी के खसरा नम्बर 274 को मदनलाल के परिवारे अर्थात विनोद कुमार वगैरह ने अपनी खातेदारी भूमि में मिला रखा है तथा वहां पर आवास हेतु एक हौज व कोटडी बना रखी है। खसरा नम्बर 275 के कुएं से सिंचाई करते है अतः ये जाहिर होता है कि उक्त खसरान पर मदनलाल के परिवार का ही कब्जा काश्त है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस बताया कि वादग्रस्त भूमि छोटी पत्नी नारायणराम जाति ब्राहम्ण के नाम खातेदारी में है, मगर छोटी पत्नी नारायणराम का स्वर्गवास आज से करीब 60–70 वर्षो पूर्व हो चुका है। जो नाऔलाद फौत हुई थी। छोटी के पति नारायण व वादी के दादा नरसीलाल काका बाबा के भाई थे। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त संवत् 2016 से पूर्व से ही वादी के दादा नरसीलाल जी का ही रहा तथा तथा अरसे–दराज से वादग्रस्त भूमि पहले वादी के पिता मदनलाल व अब वादी व उसके भाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बनवारीलाल व सुरेश कुमार के कब्जे काश्त में है। इसलिए वादी पक्ष का वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 274 में प्रतिकुल कब्जा भी है। अतः प्रतिकुल कब्जे के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वाद वर्णित भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।दौराने बहस वकील प्रतिवादी द्वारा वाद का खण्डन नही किया गया एवं सहमति जाहिर की।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वाद का मुख्य बिन्दु वादग्रस्त भूमि छोटी पत्नी नारायणराम जाति ब्राहम्ण के नाम खातेदारी में है, मगर छोटी पत्नी नारायणराम का स्वर्गवास आज से करीब 60–70 वर्षो पूर्व हो चुका है। जो नाऔलाद फौत हुई थी। छोटी के पति नारायण व वादी के दादा नरसीलाल काका बाबा के भाई थे एवं तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार मदनलाल के वारिस ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते है एवं अपनी खातेदारी भूमि में मिला रखा है तथा वहां पर आवास हेतु एक हौज व कोटडी बना रखी है। उक्त भूमि मदनलाल की पारिवारिक भूमि प्रतीत होती है। छोटीदेवी के फौत होने के उपरान्त मदनलाल एवं मदनलाल के वारिसान द्वारा भूमि पर कब्जा काश्त है अतः प्रतिकुल कब्जे के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किये जाने के कथन को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। जिस पर उभय पक्षकारान् सहमत है। अतः वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:49:13 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

—: आदेश :—

सरहद निम्बा का बास के खेत खसरा संख्या 274 रकबा 0.3600 है. भूमि की खातेदार छोटी पत्नी नारायणराम जाति ब्राहम्ण के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित की जाती है। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 09.04.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:49:13 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना